



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 23 राँची, बुधवार

19 जुलाई, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 173-177
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9 विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

30 मई, 2023

संख्या-संख्या-4/नि०सं०-12-22/2017-21352 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री सफी आलम, कोटि क्रमांक-569/20 (पंचम बैच, गृह जिला-गोपालगंज, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	SAFI ALAM (110087710603)	DC OFFICE GIRIDIH	<u>GANDEY</u> <u>CIRCLE,</u> <u>GIRIDIH</u> Circle Officer	15/06/2016	15/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 मई, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-167/2015-21353 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री अमिताभ भगत, कोटि क्रमांक-341/20 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	AMITABH BHAGAT- (110053181686)	DC OFFICE PALAMAU	<u>MEDNINAGAR</u> <u>BLOCK</u> <u>.PALAMU</u> Block Development Officer	11/02/2013	16/07/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
2 जून, 2023

संख्या-1/विविध-803/2018 का-3208--श्रीमती विप्रा भाल, भा.प्र.से. (झा:2006), सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को -

1. निजी व्यय पर दिनांक 09.06.2023 से 23.06.2023 तक अमेरिका (यू०एस०ए०) (विदेश) की यात्रा हेतु अनुमति तथा
2. अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 09.06.2023 से 23.06.2023 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 मई, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-03/2015 का० 2892--श्रीमती मिनाक्षी भगत, झा०प्र०से० कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 29.12.2017 से 03.12.2018 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

- | | |
|--|---|
| क) दिनांक 29.12.2017 से 02.06.2018 तक
(कुल 156 दिन) | - उपार्जित अवकाश के रूप में
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम
227, 230 एवं 248 के तहत |
| ख) दिनांक 03.06.2018 से 21.08.2018 तक
(कुल 80 दिन) | - अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232
के तहत |
| ग) दिनांक 22.08.2018 से 03.12.2018 तक
(कुल 104 दिन) | - असाधारण अवकाश के रूप में
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236
के तहत, |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
